

:- आदेश :-

उपरोक्त पार्थीयों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अगिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन किया है एवं इस दुरस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। तहसीलदार, द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। उक्त दुरस्ती वस्तुतः लिपिकीय त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती है। अंकित इन्द्राज दुरस्ती परस्पर सहमति से किये जाने हेतु प्रार्थना की है तथा अगिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती राजस्व अगिलेख में होने योग्य है। अतः निम्नलिखित इन्द्राज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :- नाम ग्राम-

क्र. सं.	पूर्व इन्द्राज			रवीकृत किया गया नया इन्द्राज			
	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	
1	जयंत	2	3	4	5	6	7
1	देवी सिंह पिंवाल सिंह कौम राजपूत सां देह खातेदार साकी खाता कदस्त्र	256	2.03	विरेंद्र सिंह पिंवाल सिंह कौम राजपूत सां देह खातेदार साकी खाता कदस्त्र	256	2.03	

क्रमांक :

1958

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

1. तहसीलदार डीडवाना।

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

दिनांक : 16/7/21

क्रमांक :

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

1. पटवारी हल्का को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो निर्णयानुसार पालना सुनिश्चित करें।

तहसीलदार डीडवाना

